

**परिशिष्ट-1 : वस्तु एवं सेवाओं पर जीएसटी दर
(संदर्भ: पैराग्राफ 1.6.2 (ख))**

वस्तुओं पर जीएसटी की दरें

स्लैब	संकेतक मद
0 प्रतिशत	खाद्यान्न, अनाज, धान्य, दूध, गुड़, सामान्य नमक
5 प्रतिशत	कोयला, चीनी, चाय और कॉफी, ड्रग्स और दवा, खाद्य तेल, पैक किया हुआ और ब्रैंड वाले खाद्य पदार्थ, भारतीय मिठाई, जैविक खाद
12 प्रतिशत	जमे हुए मांस उत्पाद, फलों के रस, सब्जियों के रस, दूध वाले पेय पदार्थ, ट्रैक्टर
18 प्रतिशत	पूँजीगत माल, हेयर ऑयल, साबुन, टूथपेस्ट, स्कूल बैग , रेफ्रिजरेटर, च्यूइंग गम, चॉकलेट, चॉकलेट में लिपटे वैफ़र
28 प्रतिशत	एयर कंडीशनर, शीरा, मॉनिटर्स और प्रोजेक्टरस
28 प्रतिशत + उपकर	छोटी कार (1 प्रतिशत / 3 प्रतिशत उपकर), लग्जरी कार (15 प्रतिशत उपकर), तंबाकू उत्पाद, पान मसाला और वातित पानी

सेवाओं पर जीएसटी की दरें

स्लैब	संकेतक मद
0 प्रतिशत	भारतीय रूपये 1000 से कम के टैरिफ के साथ वाले होटल/लॉज
5 कम	माल परिवहन, रेल टिकट (स्लीपर क्लास के अलावा), इकोनॉमी क्लास के हवाई टिकट, कैब समूहक, रेस्तरां
12 प्रतिशत	कार्य अनुबंध, बिजनेस क्लास की हवाई यात्रा में
18 प्रतिशत	टेलीकॉम सेवाएँ, आईटी सेवाएँ, ब्रांडेड कपड़े और वित्तीय सेवाएँ
28 प्रतिशत	सिनेमा टिकट रु. 100 से ऊपर, सट्टा, जुआ

परिशिष्ट II : जीएसटी के तहत विवरणियां
(संदर्भ: पैराग्राफ 1.6.2 (ख))

जीएसटीआर	विवरण	कौन जमा करता है	दाखिल करने की मानक तिथि	टिप्पणियां
1	वस्तुओं या सेवाओं की जावक आपूर्ति के विवरण	सामान्य पंजीकृत व्यक्ति	अगले महीने की 10 तारीख	जुलाई 2017 से सितंबर 2018 के मासिक विवरणी के लिए नियत तारीख को बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2018 कर दिया गया। अक्टूबर-दिसम्बर 2018 और जनवरी-मार्च 2019 की तिमाही विवरणी की देय तिथि को 10वीं के बजाए अगले महीने की अंतिम तारीख तक बढ़ा दिया था।
2	माल और सेवा की आवक की आपूर्ति के विवरण	सामान्य पंजीकृत व्यक्ति	अगले महीने की 15 तारीख	आस्थगित रखा गया
3	सामान्य करदाता के लिए विवरणी	सामान्य पंजीकृत व्यक्ति	अगले महीने की 20 तारीख	आस्थगित रखा गया
3 बी	सरल मासिक विवरणी	सामान्य पंजीकृत व्यक्ति	अगले महीने की 20 तारीख	प्रारंभ में दो महीने के लिए प्रारंभ किया और उसके बाद आज तक जारी रखा गया है।
4	तिमाही विवरणी	कंपोजिशन वितरक	अगामी तिमाही महीने की 18 तारीख	कोई विस्तार नहीं

5	मासिक विवरणी प्रवासी करदाता के लिए	गैर-निवासी करदाता	कर अवधि के आगामी महीने की 20 तारीख और पंजीकरण की समाप्ति के बाद 7 दिनों के भीतर	जुलाई-दिसम्बर 2017 की मासिक विवरणी के लिए नियत तिथि को बढ़ाकर 31 जनवरी 2018 कर दिया गया।
5 क	एक गैर-कर देय ऑनलाइन प्राप्तकर्ता से भारत के बाहर एक जगह से ओआईडीएआर सेवाओं की आपूर्ति करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक विवरणी	ओआईडीएआर के लिए आपूर्तिकर्ता सेवाएं	अगले महीने की 20 तारीख	जुलाई-दिसम्बर 2017 की मासिक विवरणी के लिए नियत तिथि को बढ़ाकर 31 जनवरी 2018 कर दिया गया।
6	इनपुट सेवा वितरक (आईएसडी) के लिए मासिक विवरणी	इनपुट सेवा वितरक	अगले महीने की 13 तारीख	जुलाई 2017 से अगस्त 2018 की मासिक रिटर्नों के लिए नियत तिथि को 30 सितम्बर 2018 तक बढ़ा दी गई थी।
7	स्रोत पर कर की कटौती के प्राधिकारी वर्ग के लिए मासिक विवरणी	टैक्स कटौती कर्ता	अगले महीने की 10 तारीख	अक्टूबर 2018 से जनवरी 2019 तक की अवधि के लिए विवरणी के लिए निर्धारित तिथि को 28 फरवरी 2019 तक बढ़ा दिया गया था।

8	आपूर्ति दर्शाते हुए ई-कॉमर्स ऑपरेटर हेतु मासिक विवरण	ई-कॉमर्स ऑपरेटर	अगले महीने की 10 तारीख	अक्टूबर 2018 से जनवरी 2019 की अवधि हेतु विवरणी के लिए निर्धारित तिथि 7 फरवरी 2019 तक बढ़ा दी गई थी।
9	वार्षिक विवरणी	सामान्य पंजीकृत व्यक्ति	अगले वित्तीय वर्ष के दिसंबर की 31 तारीख	वर्ष 2017-18 के लिए 31 अगस्त 2019 तक विस्तारित
9 क	कंपोज़ीशन योजना के तहत सरलीकृत वार्षिक विवरणी	कंपोज़ीशन डीलर	अगले वित्तीय वर्ष के दिसम्बर की 31 तारीख	वर्ष 2017-18 के लिए 31 अगस्त 2019 तक विस्तारित
10	फाइनल विवरणी	कर देने योग्य व्यक्ति जिसका पंजीकरण छोड़ दिया या रद्द कर दिया गया।	रद्दीकरण की तारीख के तीन महीने के भीतर या रद्दीकरण के आदेश की तारीख, जो भी बाद में हो।	---
11	यूआईएन रखने वाले व्यक्ति द्वारा आवक आपूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत किये जाएंगे।	यूएन एजेंसी और दूतावास		उनके विवरणी तभी दाखिल किए जाए जब वे तिमाही आधार पर प्रतिदाय के लिए आवेदन करें।

परिशिष्ट-III साधारण एवं कम्पोजीशन करदाताओं का वितरण

(संदर्भ: पैराग्राफ 2.2.2 एवं 2.2.3)

राज्य कोड	राज्य का नाम	साधारण करदाताएं	अखिल भारतीय साधारण करदाताओं के प्रतिशत के रूप में साधारण करदाताएं	कम्पोजीशन करदाताएं	अखिल भारतीय कम्पोजीशन विक्रेताओं के प्रतिशत के रूप में कम्पोजीशन विक्रेता	अन्य (आईएसडी, आकस्मिक करदाताएं, टीसीएस, टीडीएस, एनआर करदाताएं, ओआईडीएआर शामिल)	कुल प्रतिशत के रूप में अन्य	कुल अन्य के प्रतिशत के रूप में अन्य	कुल	कुल से बाहर विस्थापित	राज्य में प्रतिशत के रूप में विस्थापित
1	जम्मू और कश्मीर	87364	0.87	9440	0.54	1267	0.01	0.81	98071	46309	47
2	हिमाचल प्रदेश	85293	0.85	21192	1.21	969	0.01	0.62	107454	52175	49
3	पंजाब	300047	2.99	46220	2.64	1862	0.02	1.19	348129	182464	52
4	चंडीगढ़	27387	0.27	2071	0.12	885	0.01	0.56	30343	16951	56
5	उत्तराखंड	126162	1.26	31947	1.83	2942	0.02	1.87	161051	75467	47
6	हरियाणा	419365	4.17	24654	1.41	2698	0.02	1.72	446717	214678	48
7	दिल्ली	719515	7.16	18558	1.06	4076	0.03	2.60	742149	382229	52
8	राजस्थान	545063	5.42	160877	9.20	16194	0.14	10.31	722134	410251	57
9	उत्तर प्रदेश	1099885	10.94	350689	20.05	9332	0.08	5.94	1459906	667853	46
10	बिहार	298693	2.97	92344	5.28	5219	0.04	3.32	396256	161456	41
11	सिक्किम	6599	0.07	839	0.05	289	0.00	0.18	7727	2676	35

2019 की प्रतिवेदन सं. 11 (अप्रत्यक्ष कर - माल एवं सेवा कर)

राज्य कोड	राज्य का नाम	साधारण करदाताएं	अखिल भारतीय साधारण करदाताओं के प्रतिशत के रूप में साधारण करदाताएं	कम्पोजीशन करदाताएं	अखिल भारतीय कम्पोजीशन विक्रेताओं के प्रतिशत के रूप में कम्पोजीशन विक्रेता	अन्य (आईएसडी, आकस्मिक करदाताएं, टीसीएस, टीडीएस, एनआर करदाताएं, ओआईडीएआर शामिल)	कुल प्रतिशत के रूप में अन्य	कुल अन्य के प्रतिशत के रूप में अन्य	कुल	कुल से बाहर विस्थापित	राज्य में प्रतिशत के रूप में विस्थापित
12	अरुणाचल प्रदेश	10561	0.11	2476	0.14	916	0.01	0.58	13953	3199	23
13	नगालैंड	6243	0.06	2201	0.13	240	0.00	0.15	8684	2985	34
14	मणिपुर	10741	0.11	1749	0.10	462	0.00	0.29	12952	2972	23
15	मिजोरम	5100	0.05	97	0.01	224	0.00	0.14	5421	1850	34
16	त्रिपुरा	22938	0.23	2786	0.16	914	0.01	0.58	26638	11488	43
17	मेघालय	23573	0.23	2598	0.15	375	0.00	0.24	26546	9885	37
18	असम	154875	1.54	45741	2.62	2420	0.02	1.54	203036	85942	42
19	पश्चिम बंगाल	575614	5.73	80120	4.58	10464	0.09	6.66	666198	257847	39
20	झारखंड	143600	1.43	21543	1.23	2790	0.02	1.78	167933	72721	43
21	ओडिशा	217261	2.16	32235	1.84	2424	0.02	1.54	251920	121410	48
22	छत्तीसगढ़	100867	1.00	35333	2.02	2521	0.02	1.61	138721	74278	54
23	मध्य प्रदेश	341926	3.40	65346	3.74	3474	0.03	2.21	410746	239894	58
24	गुजरात	854308	8.50	112360	6.42	9791	0.08	6.23	976459	474971	49
25	दमन और दीव	5971	0.06	334	0.02	181	0.00	0.12	6486	3690	57

राज्य कोड	राज्य का नाम	साधारण करदाताएं	अखिल भारतीय साधारण करदाताओं के प्रतिशत के रूप में साधारण करदाताएं	कम्पोजीशन करदाताएं	अखिल भारतीय कम्पोजीशन विक्रेताओं के प्रतिशत के रूप में कम्पोजीशन विक्रेता	अन्य (आईएसडी, आकस्मिक करदाताएं, टीसीएस, टीडीएस, एनआर करदाताएं, ओआईडीएआर शामिल)	कुल प्रतिशत के रूप में अन्य	कुल अन्य के प्रतिशत के रूप में अन्य	कुल	कुल से बाहर विस्थापित	राज्य में प्रतिशत के रूप में विस्थापित
26	दादरा और नगर हवेली	8065	0.08	408	0.02	109	0.00	0.07	8582	4154	48
27	महाराष्ट्र	1363979	13.57	155907	8.91	34035	0.28	21.67	1553921	778504	50
29	कर्नाटक	701003	6.98	111517	6.38	14034	0.12	8.94	826554	482660	58
30	गोवा	32864	0.33	4907	0.28	670	0.01	0.43	38441	21166	55
31	लक्षद्वीप	202	0.00	30	0.00	43	0.00	0.03	275	11	4
32	केरल	287751	2.86	48653	2.78	5389	0.05	3.43	341793	219762	64
33	तमिलनाडु	853294	8.49	90710	5.19	7899	0.07	5.03	951903	511558	54
34	पुडुचेरी	20615	0.21	2562	0.15	343	0.00	0.22	23520	13095	56
35	अंडमान और निकोबार द्वीप	3934	0.04	882	0.05	251	0.00	0.16	5067	949	19
36	तेलंगाना	313292	3.12	57619	3.29	8974	0.08	5.71	379885	175000	46
37	आंध्र प्रदेश	275967	2.75	111940	6.40	2093	0.02	1.33	390000	192385	49
97	अन्य क्षेत्र	66	0.00	0	0.00	1	0.00	0.00	67	0	0
99	केंद्र क्षेत्राधिकार	0	0.00	0	0.00	286	0.00	0.18	286	0	0
	कुल योग	10049983	100.00	1748885	100.00	157056	1.31	100.00	11955924	5974885	50

परिशिष्ट-IV जीएसटीआर-1, 3बी, 4, 5, 5ए एवं 6 को दाखिल करना

(संदर्भ पैराग्राफ 2.3.3 एवं 2.3.4)

विवरणी प्रकार	ब्यौरे	अप्रैल'18	मई'18	जून'18	जुलाई'18	अगस्त'18	सितंबर'18	अक्तूबर'18	नवंबर'18	दिसंबर'18
जीएसटीआर-1	विवरणी दाखिल करने योग्य	4496316	4682345	9316710	4775626	4726891	9657239	4609444	4572118	9901997
	दाखिल की गई विवरण	2728772	2748617	7048521	2750521	2728177	6998553	2653997	2583371	6436328
	दाखिल विवरणी (%)	60.69%	58.70%	75.65%	57.59%	57.72%	72.47%	57.58%	56.50%	65.00%
जीएसटीआर - 3बी	विवरणी दाखिल करने योग्य	8817798	9122309	9316710	9470282	9615273	9657239	9757664	9846645	9901997
	दाखिल की गई विवरण	7694460	7818233	7897701	7957565	8014906	8041279	8052558	7913241	7818108
	दाखिल विवरणी (%)	87.26%	85.70%	84.77%	84.03%	83.36%	83.27%	82.53%	80.36%	78.95%
जीएसटीआर -4	विवरणी दाखिल करने योग्य			1766630			1774379			1757919
	दाखिल की गई विवरण			1506595			1453121			1371088
	दाखिल विवरणी (%)			85.28%			81.89%			77.99%
जीएसटीआर -5	विवरणी दाखिल करने योग्य	109	366	101	61	49	32	29	30	28
	दाखिल की गई विवरण	12	40	47	46	35	20	20	26	17
	दाखिल विवरणी (%)	11.01%	10.93%	46.53%	75.41%	71.43%	62.50%	68.97%	86.67%	60.71%

विवरणी प्रकार	ब्यौरे	अप्रैल'18	मई'18	जून'18	जुलाई'18	अगस्त'18	सितंबर'18	अक्तूबर'18	नवंबर'18	दिसंबर'18
जीएसटीआर - 5ए	विवरणी दाखिल करने योग्य	158	158	188	210	224	236	251	260	266
	दाखिल की गई विवरण	80	84	86	89	93	95	95	98	99
	दाखिल विवरणी (%)	50.63%	53.16%	45.74%	42.38%	41.52%	40.25%	37.85%	37.69%	37.22%
जीएसटीआर -6	विवरणी दाखिल करने योग्य	9749	9875	9832	9904	9936	9852	9413	9288	9220
	दाखिल की गई विवरण	5129	5129	5120	4936	4809	4572	4465	4379	4312
	दाखिल विवरणी (%)	52.61%	51.94%	52.07%	49.84%	48.40%	46.41%	47.43%	47.15%	46.77%

परिशिष्ट-V: प्रमुख वैधीकरण/ कार्यक्षमताओं को प्रावधान में के अनुरूप नहीं होना

(संदर्भ: पैराग्राफ 3.5)

पैरा नं.	संक्षेप में मुद्दा	एसआरएस में उपलब्ध कराई गई	कार्यान्वयन विफलता
3.7.1 (ए)	सीएलएस के तहत सामान्य करदाता के साथ-साथ पंजीकृत पैन धारक पाए गए, जिन्हें अधिनियम द्वारा अनुमति नहीं दी गई थी।	हां	हां
3.7.1 (बी)	जीएसटी प्रणाली ने एक पैन धारक को सीएलएस के तहत पंजीकरण करने से नहीं रोका यदि अखिल भारतीय आधार पर सभी पंजीकरणों से उनका कुल कारोबार सीएलएस के लिए निर्धारित कारोबार की सीमा से अधिक हो गया हो।	नहीं	--
3.7.2 (ए)	जीएसटी आईटी प्रणाली को मान्य करने और अंतर्राज्यीय आपूर्तिकर्ताओं, ईकॉम, सेज डेवलपर्स/इकाईयों को मान्य और बेदखल करने में विफल रहा	हां	हां
3.7.2 (बी)	जीएसटी आईटी प्रणाली ने आइसक्रीम, पान मसाला, तंबाकू के निर्माताओं को एक कंपोजिशन वितरक के रूप में पंजीकरण करने से प्रतिबंधित नहीं किया।	नहीं	--
3.8.1 (ए)	पैन, जो अनिवार्य था, ओएनएस के पंजीकरण के लिए वैकल्पिक बनाया गया था।	हां	हां
3.8.1 (बी)	ओएनपी के लिए पंजीकरण - अधिसूचना संख्या को मान्य करने के लिए सुविधा की अनुपलब्धता।	नहीं	--
3.8.2 (i)	ओआईडीएआर के मामले में महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए कोई सुविधा नहीं	हां	हां
3.8.2 (ii)	कर पहचान संख्या (टीआईएन), के स्थान पर प्रणाली ने जंक मूल्य स्वीकार किया जो कि ओआईडीएआर के लिए अनिवार्य था। कर अधिकारियों द्वारा सत्यापन के लिए टीआईएन से संबंधित दस्तावेजों को अपलोड करने का कोई प्रावधान नहीं था।	नहीं	--

पैरा नं.	संक्षेप में मुद्दा	एसआरएस में उपलब्ध कराई गई	कार्यान्वयन विफलता
3.8.2 (iii)	जीएसटी आईटी प्रणाली में ओआईडीएआर आवेदकों के अधिकृत प्रतिनिधियों के पैन और पते ओआईडीएआर के लिए पंजीकरण के आवेदन को दाखिल करने के लिए अनिवार्य नहीं किए गए थे।	हां	हां
3.8.3	ऐसी कोई अधिसूचना जारी होने से पहले सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने पर उपलब्ध कराई जाने वाली श्रेणी (iv) चालू पायी गयी	नहीं	--
3.9.3	एक ही पैन के तहत कई पंजीकरण के लिए अपेक्षित फिल्ड्स की स्वतः आने के लिए कोई प्रावधान नहीं	हां	हां
3.9.4	पिन कोड के साथ क्षेत्राधिकार मैपिंग सक्षम नहीं	नहीं	--
3.10.3	जीएसटी पोर्टल पर करदाता के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया था कि वह प्रत्येक व्यावसायिक अनुलंब के लिए पैन, मोबाइल और ई-मेल का एक अनन्य संयोजन प्रदान करें जो कानून द्वारा अनिवार्य नहीं है।	हां	नहीं
3.10.4	स्रोत (टीसीएस) श्रेणी में एकत्र कर के तहत, 'पंजीकरण नाम' के संबंध में रिक्त स्थान या एनपी थे, जो एक अनिवार्य क्षेत्र था और एक अन्य क्षेत्र 'न्यायिक अनुमोदन प्राधिकरण' था, जो वैधीकरण के अभाव को इंगित करता है।	हां	हां
3.10.5	यदि कोई अनिवासी कर योग्य व्यक्ति (एनआरटीपी)/ आकस्मिक करदाता ने व्यवसाय शुरू होने की तारीख से पांच दिन पहले पंजीकरण के लिए दायर नहीं किया था, तो कर अधिकारी को चेतावनी देने का कोई प्रावधान नहीं था। सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 13(i) के साथ पठित सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 25 के तहत आवश्यक है।	नहीं	--
3.19	हस्तांतरण की वास्तविक स्थिति के अनुरूप संदेशों का प्रदर्शित नहीं किया गया था।	हां	हां

परिशिष्ट-VI : संक्रमणकालीन क्रेडिटों की लेखापरीक्षा समीक्षा
(संदर्भ: पैराग्राफ 4.7.1)

(₹ लाख में)

डीएपी सं.	शामिल कमिशनरियों के नाम	मामलों की संख्या	आपत्ति की राशि	स्वीकृत राशि	वसूली गई राशि
पैराग्राफ 4.7.2 अतिरिक्त सेनवेट क्रेडिट का अग्रेशन					
13	चेन्नई उत्तर	1	50.09	50.09	50.09
13	चेन्नई दक्षिण	1	7.11	0.00	0.00
13	कोयंबटूर	1	53.06	53.06	53.06
25	देहरादून	1	10.09	10.09	12.53
3	दिल्ली पूर्व	1	138.00	138.00	138.00
31	पुणे I	1	0.00	0.00	0.00
पैराग्राफ 4.7.3 संक्रमणकालीन क्रेडिट के अनियमित लाभ					
30	पुणे I	1	74.69	0.00	0.00
13	चेन्नई दक्षिण	1	31.17	31.17	0.00
13	कोयंबटूर	1	22.74	22.74	0.00
2	गांधीधाम	1	73.51	73.51	0.00
पैराग्राफ 4.7.4 क्रेडिट के दुगने लाभ को रोकने के लिए कोई प्रणालीगत जांच नहीं					
26	बेलापुर	1	0.00	0.00	0.00
पैराग्राफ 4.7.5 उपकर क्रेडिट का अनियमित लाभ का पता नहीं लगाया जाना					
7	देहरादून	1	37.09	37.09	37.09
9	गांधीधाम	2	27.30	27.30	0.98
8	दिल्ली पूर्व	1	19.51	19.51	19.51

डीएपी सं.	शामिल कमिश्नरियों के नाम	मामलों की संख्या	आपत्ति की राशि	स्वीकृत राशि	वसूली गई राशि
15	बेंगलुरु पूर्व	11	345.02	345.02	46.15
15	बेंगलुरु दक्षिण	5	533.47	533.47	2.99
23	दमन	1	11.92	11.92	11.92
पैराग्राफ 4.7.6 विवादग्रस्त क्रेडिट के उपयोग पर प्रतिबंध न लगाया जाना					
11	चेन्नई दक्षिण	1	729.00	0.00	0.00
11	चेन्नई आउटर	1	7119.97	0.00	0.00
पैराग्राफ 4.7.7 संक्रमणकालीन क्रेडिट के विपर्यय पर ब्याज का गैर-भुगतान					
13	चेन्नई दक्षिण	4	1338.31	0.00	0.00
13	चेन्नई आउटर	1	21.99	9.80	0.00
13	कोयंबटूर	2	29.03	29.03	29.03
13	सलेम	1	66.44	66.44	0.00

परिशिष्ट-VII : प्रतिदाय दावों की लेखापरीक्षा का विहंगावलोकन

(संदर्भ: पैराग्राफ 4.10)

(₹ लाख में)

डीएपी सं.	शामिल कमीशनरी के नाम	मामलों की संख्या	आपत्ति की राशि	स्वीकृत राशि	वसूली गई राशि
18	मुंबई पूर्व	2	58.88	27.18	0.00
20	भिवंडी	3	34.86	34.86	0.00
22	दमन	21	22.80	18.27	0.00
24	सूरत	1	139.00	139.00	0.00
27	मुंबई पूर्व	1	16.08	16.08	0.00
	कुल	28	271.62	235.39	0.00